भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 753
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तंबाकू के उपयोग से मौत

753. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू के सेवन के कारण प्रतिवर्ष मरने वाले वयस्कों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा देश भर में इसके उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश भर में सभी चिकित्सा संस्थानों में तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र (टीसीसी) स्थापित करने की योजना बनाई है:
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण (जीएटीएस-2) रिपोर्ट (2016-17) के दूसरे दौर के आकलन के अनुसार भारत में तंबाकू के कारण होने वाली मृत्यु दर 1.3 मिलियन से ऊपर होना अनुमानित है।

देश में तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 47 में यथा स्थापित सामान्य जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की दृष्टि से तंबाकू उत्पादों के उपयोग को विनियमित करने और तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) नामक एक व्यापक कानून तैयार किया है। सीओटीपीए, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बनाए गए प्रावधान सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का निषेध; नाबालिगों को

और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और; (ii) तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध और सभी तम्बाकू उत्पाद के पैकेट पर विर्निदिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रदर्शन को अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश' भी जारी किए हैं।

सरकार ने तम्बाकू के उपयोग को कम करने के लिए नियमित और निरंतर जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन करने; नेशनल टोबैको क्विटलाइन की स्थापना के साथ-साथ तंबाकू उपयोगकर्ता जो तंबाकू का उपयोग छोड़ना चाहते हैं, उन तक तंबाकू निवारण सेवाएं प्रदान करने के लिए आसान पहुंच हेतु वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया गया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के बीच किए गए वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (2016-17) के दूसरे दौर के अनुसार तंबाकू के उपयोग की व्यापकता में 34.6% (जीएटीएस-1, 2009-10) से 28.6% (जीएटीएस-2, 2016-17) तक 17.3% की सापेक्ष कमी आई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 2023" पर 60 दिनों का तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया। विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण समुदायों के बीच तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों पर गहन जन जागरूकता सृजन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 31 मई से 31 जुलाई, 2023 तक अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया गया था।

(घ) से (छ): सरकार ने तंबाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने; तम्बाकू सेवन को रोकना सहज बनाने के ज्ञान के साथ चिकित्सा व्यावसायिकों को सशक्त बनाने; और देश भर में तंबाकू सेवन को रोकने संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निवारण केंद्रों (टीसीसी) की स्थापना हेतु परिचालन दिशानिर्देश तैयार और प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी चिकित्सा संस्थानों को टीसीसी स्थापित करने के निदेश जारी किए हैं।

****